



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/644
दिनांक :- 15.5.2023

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक सत्र 2023-2024 में सम्बद्धता हेतु NAAC मूल्यांकन अनिवार्य रूप से सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक यू0पी0 परियोजना के सम्बन्ध में CRISP संस्था एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2023 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे महाविद्यालय/संस्थान जो NAAC का मूल्यांकन कार्य सम्पादित नहीं करेंगे। उन महाविद्यालयों/संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र 2023-2024 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता का विस्तारण एवं नवीन सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएगी।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. डॉ0 राजीव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (सदस्य सचिव, निरीक्षण मण्डल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (सदस्य सचिव, निरीक्षण मण्डल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. समस्त आचार्यगण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कुलसचिव